

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 628/2023

अनवान : -

1. शैलेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मनीष कुमार पुत्र ओम प्रकाश नाबिल जरिये कुदरती बली माता विनोद पत्नी ओम प्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. ओम प्रकाश पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. पूजा पुत्री ओम प्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 16/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 149/32 की कुल 4.2350 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गोपालराम पुत्र श्योदान के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है जिसे अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 2 जो की वादी की बहिन तथा प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है ने वादग्रस्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 वाद भूमि पर बहिब काबिज है। जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर



अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी सं० 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 15 एनटीआर सम्वत 2072-75 खाता सं० 149, जमाबंदी रोही मौजा 15 एनटीआर सम्वत 2052-55 बहक गोपालराम, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है जो की पूर्व में हमारे पूर्वजो के नाम थी अतः वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी सं० 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वाद का निस्तारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर एवं राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 149/32 की कुल 4.2350 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो प्रदर्श से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है प्रतिवादीया सं० 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 149/32 की कुल 4.2350 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब 1/3-1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 628/2023

अनवान : -

1. शैलेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मनीष कुमार पुत्र ओम प्रकाश नाबिल जरिये कुदरती बली माता विनोद पत्नी ओम प्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्


1. ओम प्रकाश पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. पूजा पुत्री ओम प्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 628 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 149/32 की कुल 4.2350 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब 1/3-1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/11/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर